



## न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

R- 3297/I/2015

प्र.क्र.

IV 15 विविध प्रकरण

श्री क. क. कागल, 2015  
द्वारा आज दि 9-10-15 को  
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट / 15  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. लईक खॉ पुत्र अहमद खॉ निवासी ग्राम रतनगढ़ तहसील लटेरी जिला विदिशा म.प्र. व्यवसाय - कृषि
2. उमर खॉ आयु 25 वर्ष पुत्र श्री लईक खॉ, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम रतनगढ़ तहसील लटेरी जिला विदिशा म.प्र. व्यवसाय - कृषि
3. हाजरा बी. आयु 37 वर्ष, पत्नी श्री अब्दुल सलाम, जाति मुसलमान, निवासी मुरवास
4. प्रकाश बाबू, आयु 32 वर्ष पुत्र श्री धीरज सिंह, जाति कुशवाह निवासी- बलरामपुर तहसील लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.

.....प्रार्थीगण

**विरुद्ध**

1. राकेश खजूरिया तहसीलदार ग्राम लटेरी जिला विदिशा
2. सिंगार बाई, आयु 60 वर्ष पत्नी श्री प्रेमसिंह, जाति बघेल, निवासी- ग्राम वामनखेड़ी तहसील लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.

.....प्रतिप्रार्थीगण

### प्रार्थना पत्र धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम

श्रीमान जी,

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1. यहकि, प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी क्र.4047/2/14 विरुद्ध आदेश पारित आयुक्त संभाग भोपाल के प्रकरण क्र. 6 पुनरावलोकन/14.15 आदेश 27/10/2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08/12/2014 को निगरानी सुनवाई हेतु गाह्य कर ली गई है। अधीनस्त न्यायालय के अभिलेख तलब किये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है जो समय-समय पर बढ़ाकर 18/08/2015 को आदेश निरन्तर जारी किया गया है। तथा प्रकरण में पेशी दिनांक 27/10/2015 नियत है तथा प्रत्येक ओदश की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उनके संज्ञान में है तथा आदेश श्रीमान न्यायालय का प्रतिप्रार्थीगण के ज्ञान में होकर

Kar

